न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 248 / 2002
1–जयराम पुत्र शिवराम जाति अहीर निवासी कस्बा कामां
2–आसीन पुत्र सुमेरखां जाति मेव निवासी ग्राम गढाजान तहसील कामां

बनाम

वादीगण

1–राधे पुत्र मानसिंह जाति गडरिया निवासी ग्राम उंधन तहसील कामां
2–गुरूबक्सलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति खत्री निवासी मूसेपुर तहसील कामां

असल प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगण
1–बालमुकन्द अधिवक्ता
प्रतिवादी
1–बृजलाल अधिवक्ता

दावा डिकलेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,व 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक 30.11.2022

वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 188 आर0टी0 एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण आराजी मुतदाविया के खसरा नम्बर 269 / 08.03, 271 / 06. 09, किता 2 रकवा 14 बीघा 12 विस्वा हैक्टर वाके ग्राम उंधन तहसील कामां मे स्थित है आराजी मुतदाविया प्रतिवादी राधे के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी थी। सन् 1968 में एक मुश्त आराजी का राज लगान की राशि लेकर हमेशा हमेशा के लिए काश्त को बतला दी और उसने अपने समस्त अधिकार विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को देकर ग्राम उंधन को छोडकर बाहर रहने लग गया। तभी अप्रेल सन् 1968 से वादीगण आराजी मुतदाविया पर काबिज रहकर वाहैसियत खातेदार काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर इस समय वादीगण का कब्जा है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में खिलाफ कानून व खिलाफ मौका व कब्जा प्रतिवादी का नाम गलत दर्ज किया जा रहा है। जो वा मुकाबिले वादीगण वातिल व बेअसर है उक्त गलत इन्द्राज को इल्म वादीगण को नकल जमाबन्दी लिये जाने पर हुआ विदी वजह वादीगण डिकलेरेशन इस आशय का करा पाने का अधिकारी है कि वादीगण आजाजी मुतदाविया पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार वाहिस्सा बराबर काबिज है। तथा राजस्व रिकार्ड में हो रहे इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने नाम खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी का आराजी मुतदाविया से अप्रेल सन् 1968 से आज तक कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। प्रतिवादी राधे ने अपनी गैरखातेदारी की आराजी को खातेदारी की कार्यवाही कराने हेतु श्री गुरूवक्श लाल पुत्र चुन्नी लाल जाति खत्री निवासी मुसेपुर तहसील कामां को अपना मुख्तायारआम नियुक्त करा था। गैर खातेदारी की आराजी से खातेदारी की कार्यवाही हुई तथा जरिये इन्तकाल नम्बर 652 राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकित कर दिया। जो इन्द्राज व नाम प्रतिवादी राधे के गलत राजस्व मु–अभिलेख में दर्ज हो रहा है वो गलत है वादीगण उसे कलमजन कराकर अपने आप को खातेदार अधिकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी को जरिये डिक्री इम्तनाई दवामी पाबन्द फरमाया जावे कि वह कब्जे काश्त खातेदार की भूमि आराजी मुतदाविया वादीगण में

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

किसी प्रकार की मजामत व मदाखलत न करें । वादीगण को उनके शांतिपूर्वक कब्जे से बेदखल न करें। किसी दूसरे शख्स को रहन वय मुन्तकिल न करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया कि मद नं0 1 अर्जी दावा के वक्त दावा दायरी में प्रतिवादी वादीगण से परिचित नहीं था । इसलिए यह मद नं0 1 अर्जी दावा स्वीकार नहीं है। मद नं0 2 अर्जी दावा स्वीकार है। मद नं0 3 अर्जी दावा से आराजी मुतदाविया का मुझ प्रतिवादी राधे की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी होना स्वीकार है। शेष मजबून जिस कदर ब्यान की गई है कतई गलत है स्वीकार नहीं है। सन् 1968 के माह अप्रेल में मुझ प्रतिवादी द्वारा आराजी मुतदाविया को वादीगण को काश्त पर नहीं बताया गया तथा ना ही वादीगण का आराजी मुतदाविया पर सन् 1968 से लेकर आज तक कब्जा रहा है। मद नं0 4 अर्जी दावा जिस कदर ब्यान की गई है कतई गलत है स्वीकार नहीं है जब वादीगण का आराजी मुतदाविया से कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो उन्हें दिनांक 19.06.90 को धमकी दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मद नं0 5 अर्जी दावा कतई गलत है स्वीकार नहीं है वादीगण को कोई विनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है। आराजी खसरा नम्बर 269/8.03 वाके ग्राम उंधन तहसील कामां प्रारम्भ से ही मुझ प्रतिवादी राधे की गैरखातेदारी की आ0 रही थी जिस पर मैं प्रतिवादी वाहैसियत मालिक आराजी मुतदाविया पर काबिज रहकर काश्त करता रहा था आज भी मौके पर मेरा ही कब्जा है। मैं प्रतिवादी गरीब आदमी होने के कारण कुछ समय के लिए बाहर खाने कमाने के लिए चला गया था और मैं अनपढ व अंगूठा छाप व्यक्ति हूँ और कानून के मामले मे अनभिज्ञ था अनभिज्ञ होने के कारण मुझ प्रतिवादी द्वारा अपनी गैरखातेदारी की आराजी मुतदाविया को खातेदारी की कार्यवाही कराने हेतु श्री गुरूवक्स लाल पुत्र चुन्नीलाल जाति खत्री निवासी ग्राम मुसेपुर तहसील कामां को दिनांक 14.7.1986 को अपना मुख्त्यारआम नियुक्त करा था। मुख्तायारआम गुरूवक्स द्वारा मेरी गैरखातेदारी की आराजी जरिये इन्तकाल 652 से राजस्व रिकाड में खातेदार दर्ज की गई तब से ही प्रतिवादी पहले वाहैसियत गैरखातेदार व अब वाहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करता चला आ रहा है मौके पर कब्जा है। वादीगण द्वारा मुझ प्रतिवादी की आराजी को हडपने की नीयत से दावा में सारी कार्यवाही की गई थी मुझे जानकारी होते ही मेने अपने मुकदमें की कानूनी कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दी। वादीगण द्वारा मुझ प्रतिवादी की आराजी को गलत तरीके से अपने नाम कराने के पश्चात आराजी मुतदाविया मे से 1/2 हिस्सा भूमि विकास बैंक शाखा कामां के यहां रहन रख दिया ताकि बैंक को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है। जिसे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। जिसके आभाव में दावा मैन्टीबल नहीं है। मुकदमा हाजा में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार हैं जिसे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है इस कारण भी दावा मैन्टीबल नहीं है।

वादी/ प्रतिवादी के दावा व जबाव के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई

1. आया वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 269 व 271 किता–2 रकबा 14 बीघा 12 विस्वा वांके ग्राम उंधन पर अप्रेल 1968 से वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। इसलिए वादी खातेदारी अधिकार घोषित कराने का अधिकारी है।
2. आया वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।
3. आया मुकदमे हाजा में भूमि विकास बैंक शाखा कामां आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया है जिसके दावा काबिल खारिज है।
4. आया मुकदमे हाजा में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए दावा काबिल खारिज है।
5. अन्य अनुतोष।

बहस कानूनी 3 व 4 की सुनी जाने पर भूमि विकास बैंक शाखा कामां के हक में दावा दायरी के वाद में आराजी रहन रखी है। अतः न्यायहित में बतौर प्रतिवादी नम्बर 2 बनाया गया। भूमि विकास बैंक का जबाव पेश हुआ कि वादी जयराम पुत्र शिवराम ने वास्ते बोरिंग ईंजन दिनांक 06.06.1994 को 16000/– रूपये बतौर ऋण लिए प्रतिवादी नम्बर 2 से लिये गये ऋण की एवज में जयराम ने अपनी खातेदार काश्तकार की आराजी रहननामा में रखकर प्रतिवादी नम्बर 2 के हक में लिख दिया तभी से आराजी मुतदाविया चली आ रही है।

वादी संख्या 2 की तरफ से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 के साथ मुख्तायारआम पेश किया जिसका जबाव पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पास सन् 1990 से

दस्तावेज कब्जे में हैं जिसे पूर्व में भी पेश किया जा सकता था। अतः प्रार्थना पत्र में हर्जे के खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 पर बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र के साथ राधे का मुख्तायारआत पेश किया है जिसे वाद में प्रतिवादी बनाया गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है परन्तु काफी विलम्ब से पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र 300/– रूपये के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है।

वादी ने साक्ष्य के रूप में पीडब्ल्यू–1 आसीन, पीडब्ल्यू–2 गुरूवक्स, पीडब्ल्यू 3 कालू, पीडब्ल्यू–4 जल्ली के साथ शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई।

एक प्रार्थना पत्र जुहरू पुत्र बाघदल निवासी मुसेपुर ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व सहपठित धारा 151 जा0 दी0 के तहत पेश किया जिसका जबाव बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 दावादारी के लगभग 25 वर्ष वाद पेश की गई है जिसमें देरी का कोई कारण नहीं बताया है साथ ही विवादित आराजी पर अपने कब्जे होने का कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया है। यदि इस स्तर पर प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाता है तो दावे के निस्तारण में अनावश्यक देरी होगी जो वादी के हितों के विपरीत है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

वादी अधिवक्ता की ओर से साक्ष्य के रूप में गुरूवक्स पुत्र चुन्नीलाल उपस्थित आये जिससे प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह की गई जिरह में साक्ष्य में गुरूवक्स ने बताया वह जयराम को जानता है। जयराम पहले कामा रहता था अब कहां रहता है पता नहीं है। सन् 1968 में जयराम की उम्र 35 साल की थी । आराजी मुतदाविया को आसीन व जयराम जोतते थे। जयराम 1968 में जब जमीन को जोतता था उंधन में नहीं रहता था। विवादित आराजी को मने जोतने बोने के लिए वादीगण को आराजी मुतदाविया को 300–400 रूपये प्रति बीघा में जोतने के लिए बताया था जिसकी कोई पढी–लिखी नहीं की गई। जिसका मुख्तायारआम राधे ने मुझे कराया था कि आराजी की खातेदारी की कानूनी कार्यवाही कराये, वकील करे, दावा व वाद पेश करे खातेदारी कराने में रकम मैंने जमा कराई थी जिसकी रसीद आसीन को दे दी राधे को नहीं दी इस जमीन की कीमत आसीन व जयराम से लेकर खातेदारी कराई थी क्योंकि ये जमीन का सौदा 300–400 रूपये प्रति बीघा के हिसाब से हुआ था जिसकी राशि राधे को दे दी गई। जो उस समय जयराम, आसीन, बरकत, सुक्कन ग्राम उंधन व गिर्राज ग्राम मुसेपुर था।

प्रतिवादी वकील ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि जयराम पुत्र शिवराम जाति अहीर वादी नम्बर 1 को अपने दावा में दर्ज कथनों एवं वादपत्र से सम्बन्धित तात्तिक प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर देने हेतु न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र 151 जा0 दी0 की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी जयराम को दावे का सत्यापन करने हेतु तथा तात्विक प्रश्नों के उत्तर देने हेतु उपस्थित किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण सन् 1990 से लम्बित चल रहा है। प्रतिवादी को दिनांक 25.03.2021 से लगातार साक्ष्य के लिए समय दिया जा रहा है साक्ष्य पेश नहीं किये इससे प्रतीत होता है कि वकील प्रकरण को लम्बा करना चाहता है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है प्रार्थना पत्र 151 जा0दी0 खारिज किया जाता है, तथा आगामी तारीख पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो साक्ष्य बंद किये गये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रतिवादी वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी पेश करने के लिए समय चाहा है जिसे आंशिक स्वीकार कर समय दिया गया। राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश करने पर निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी खारिज कर इस न्यायालय के आदेश 13.01.2022 को बहाल रखा गया है। अतः प्रतिवादी साक्ष्य बंद किये गये।

प्रतिवादी वकील द्वारा पुनः एक प्रार्थना पत्र 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि मूल वाद राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर व राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्देशानुसार व पक्षकारों को पूर्ण निर्णय पारित करने से पहले न्यायालय के आदेश दिनांक 02.09.2002 की पालना कराये जाने से पहले तहसीलदार कामां से आराजी मुतदाविया के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड दिनांक 10.07.1990 की डिक्री से पूर्व इन्द्राज कायम कराया जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में तलब फरमाई जावे। जिसकी बहस सुनी गई । अप्रार्थी (वादी) अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थना पत्र को पृथक से सुना जावे इससे पहले फाइनल बहस सुनी जाये क्योंकि पत्रावली दिनांक 31.03.2022 से फाईनल बहस में चल रही है प्रतिवादी (प्रार्थी) को बहस

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज.

के लिए काफी समय दिया जा चुका है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की सिविल रिट पिटिशन नम्बर 8791/2002 जयराम बनाम राजस्थान बोर्ड अजमेर ने दिनांक 26.03.2008 में निर्णय पारित किया गया कि एक वर्ष के दौरान प्रकरण का निस्तारण किया जावे। बाद में संतुलन की स्थिति में प्रार्थना पत्र 151 जा0फौ0 खारिज किया गया।

वादीगण ने दावे के समर्थन में नकल मुख्तायारआम दिनांक 14.07.1986 के द्वारा राधे पुत्र मानसिंह जाति गडरिया निवासी उंधन ने लेखपत्र संख्या 24 दिनांक 14.07.1986 को श्री गुरूवक्स लाल पुत्र चुन्नीलाल जाति खत्री निवासी मुसेपुर को मुख्तायारआम नियुक्त किया है तथा आराजी की खातेदारी कानूनी कार्यवाही अपील एवं उक्त आराजी के रहन व मुन्तकिल के अधिकार प्रदान किये, नकल जमाबन्दी संवत् 2061–64 में जयराम पुत्र शिवराम कौम अहीर साकिन कामां हिस्सा 1/2 खातेदार रहन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा कामां मुर्तहन आसीन पुत्र सुमेरखां कौम मेव साकिन गढाजान 1/2 हिस्सा खातेदार, खसरा नम्बर 269/1.32, 271/1.04 किता 2 रकबा 2.36 हैक्टर एवं न्यायालय सहायक कलक्टर, कामां का मुकदमा नम्बर 152/90 दिनांक 10.07.1990 को दावा वादीगण का बिनाय इकबाल डिक्री किया गया वादीगण जयराम पुत्र शिवराम जाति अहीर निवासी कस्बा कामां व आसीन पुत्र सुमेर जाति मेव निवासी गढाजान तहसील कामां को आराजी खसरा नम्बर 269/8.03, 271/6.09 किता–2 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा वांके ग्राम उंधन का वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द किया जाता है कि उक्त कब्जेकाश्त वादीगण में किसी प्रकार का मदाखलत व मजाहमत न करे। प्रतिवादी का नाम कलमजन किया जावे। संबंधित दस्तावेज पेश किये हैं।

हमने पक्षकार अधिवक्ताओं की तनकीबार बहस सुनी

आया वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 269 व 271 किता–2 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा वांके ग्राम उंधन पर अप्रेल 1968 से वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। इसलिए वादी खातेदारी अधिकार घोषित कराने का अधिकारी है।

वादी अधिवक्ता ने तनकी नम्बर 1 के समर्थन में बताया कि वादीगण 1968 से जब तक उक्त आराजी पर काश्त कर रहें हैं और मौके पर कब्जा है। इसकी खातेदारी की रकम भी वादीगण द्वारा गुरूवक्स को दी गई है। राधे ने गुरूवक्स को उक्त आराजी का मुख्तायारनामा कराया गया सबूत में मुख्तायारनामा की फोटो प्रति पेश की है। वादीगण वैधानिक तरीके से खातेदारी की राशि जमा कर आराजी पर काबिज हैं। सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी संवत् 2061–64 में जयराम पुत्र शिवराम कौम अहीर साकिन कामां हिस्सा 1/2 खातेदार रहन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा कामां मुर्तहन आसीन पुत्र सुमेरखां कौम मेव साकिन गढाजान 1/2 हिस्सा खातेदार, खसरा नम्बर 269/1.32, 271/1.04 किता 2 रकबा 2.36 हैक्टर वांके ग्राम उंधन पेश की है। प्रतिवादी वकील ने बहस में बताया खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कीमत अदा कर प्राप्त की गई है। वादी खातेदार नहीं है।

अतः वादी अधिवक्ता ने तनकी नम्बर 1 यह तनकी वादीगण के वाद पत्र की मद नं0 3 में दर्ज कथनों के आधार पर कायत की गई है आराजी मुतदाविया प्रतिवादी के बेपदन की थी जिसके सवव प्रतिवादी ने वादीगण से अप्रैल सन् 1968 में एक मुश्त आराजी का राज लगान की राशि लेकर हमेशा हमेशा के लिए काश्त पर बता दिया था इसलिए खातेदार घोषित किया जावे । जबकि वादी आसीन पी0डब्लू01 अपने बयान की जिरह में इस कथन को कहता है कि इस विवादित जमीन को 300/–रूपया बीघा के हिसाब से इससे प्रतिवादी खरीद ली थी । पी0डब्लू01 वादी आसीन के इस कथन की पी0डब्लू0 2 गुरूवक्स पूर्ण रूप से समर्थन करता है और कहता है कि इस जमीन का सौदा 300–400 रूप्या प्रति बीघा के हिसाब से हुआ था । यह सौदा मेरे घर मुसेपुर में हुआ था उस समय जयराम आसीन बरकत ग्राम उंधन सुक्कन ग्राम उंधन गिरांज ग्राम मूसेपुर के थे उनके सामने सौदा हुआ था । पी0डब्लू0 3 कालू पुत्र शेरसिंह भी इसी बात को कहता है कि राधे ने आराजी मुत0 आसीन व जयराम को पैसे लेकर दी एवं पी0डब्लू04 जल्ली पुत्र हुरमत अपनी जिरह में कहता है कि जयराम आसीन ने यह जमीन मोल ली थी राधे से यह जमीन 200/रूपया प्रतिबीघा के हिसाब से खरीद थी । उस वक्त आराजी का यही भाव था कोई इकरारनामा पेश नहीं किया है । वादीगण का प्रतिकूल कब्जे और विवादित आराजी मुत0 को खरीद की प्ली दोनो एक साथ नही चल सकती है । वादीगण को इस बात का कोई फायदा नहीं दिया जा सकता है कि प्रतिवादी ने अपने पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किये और साक्ष्य बन्द हो गई वादीगण को प्रतिवादी की किसी भी कमजोरी का कोई

फायदा नही दिया जा सकता । वादीगण को अपना दावा खुद साबित करना होता है । आर.आर. डी. 2002 पेज 618 आर.बी.जे. 2011 पेज 261 पैरा 14 वादीगण ने आराजी मुत0 पर अप्रैल 1968 से लेकर हाल सम्बत अपना कब्जा बताकर खातेदारी चाही गई है । परन्तु वादीगण ने आराजी मुत0 पर अपना प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए सम्वत् 2006 से 2009 स0 2009 से 2012 एवं स02012 से 2015 का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है और ना ही राज लगान की रसीद पेश की है । वादीगण ने अपना कब्जा साबित करने के लिए केवल मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू01,आसीन पी0डब्लू02,गुरूबक्स , पी0डब्लू03 कालू पी0डब्लू04 जल्ली के बयान कराये है। पी0डब्लू01,2,3,4 की केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण को खातेदार अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । आर.आर.डी 1988 पेज 364 किसी भी व्यक्ति को केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी हको की घोषणा नहीं की जा सकती । आर0आर0डी0 1996 पेज 389 आर0एल0 2004 पेज 108(एच0सी0) यदि न्यायालय वादीगण की मौखिक साक्ष्य पर कब्जा मानते है तो वादीगण का कब्जा ट्रेसपारसर की श्रेणी में आता है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियू 1955 की किसी भी धारा के तहत ट्रेस पारसर को खातेदार अधिकार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है । इसलिए दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे ।

अतः वादीगण द्वारा 1968 से आज तक काबिज काश्त है । दिनांक 14.7.1986 को गुरूवक्सलाल को प्रतिवादी ने अपना मुख्त्यारआम नियुक्त किया । गुरूवक्स ने विधिवत खातेदारी प्राप्त वादीगण को कब्जा काश्त पर बता दिया । वादीगण उक्त आराजी पर बैधनिक तरीके से काबिज है । जिसे जरिये डिक्री खातेदार किया गया है । वादी अधिवक्ता द्वारा तनकी नं0 1 वादीगण के पक्ष में प्रतीत होती है । तनकी नं0 2 आया वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी नं0 1 के साबित होने पर तनकी नं0 2 स्वतः ही साबित होती है । तनकी नं0 3 आया मुकदमे हाजा में भूमि विकास बैंक शाखा कामां आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया है जिसके दावा काबिल खारिज है। प्रकरण में भूमि विकास बैंक शाखा कामां आवश्यक पक्षकार बनाया गया है । जिसने अपने जबाव में वादीगण द्वारा बोरिंग इंजन के लिए 6.6.1994 को 16000 रू0 का ऋण लिया था जिससे आराजी रहन रखी है । यह तनकी भी वादी के पक्ष में प्रतीत होती है ।

तनकी नं0 4 राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है । जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए दावा काबिल खारिज है। बादी वकील ने बताया कि प्रकरण में राजस्थान सरकार को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक नहीं है । इस कारण दावा खारिज किया जाना न्योचित नहीं है । प्रतिवादी वकील ने बताया कि प्रकरण भूमि से सम्बन्धित तहसीलदार भूमिधारी है जिसे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है । इसलिए दावा खारिज किया जाने योग्य है । प्रकरण अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है जिसे विधिवत निर्णय किया जाना उचित है । जिसे इन तनकी पर दावा को खारिज किया जाना खारिज उचित प्रतीत नहीं होता है । तनकी आंशिक स्वीकार की जाती है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तथा पक्षकारान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा दस्तावेजों का मनन किया । तनकी नं0 1, 2, 3 वादी के पक्ष में प्रतीत होती है । प्रतिवादी नं0 4 प्रतिवादी के पक्ष में आंशिक स्वीकार प्रतीत होती है । तनकी नं0 1, 2, 3 को प्रतिवादी साबित करने में विफल रहा है । न्यायालय सहायक कलक्टर, कामां का मुकदमा नम्बर 152/90 दिनांक 10.07.1990 को पुष्ट किया जाता है कि दावा वादीगण का बिनाय इकबाल डिक्री किया गया वादीगण जयराम पुत्र शिवराम जाति अहीर निवासी कस्बा कामां व आसीन पुत्र सुमेर जाति मेव निवासी गढाजान तहसील कामां को आराजी खसरा नम्बर 269/8.03, 271/6.09 किता–2 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा वांके ग्राम उंधन का वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा प्रतिवादी को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द किया गया है कि उक्त कब्जेकाश्त वादीगण में किसी प्रकार का मदाखलत व मजाहमत न करे। प्रतिवादी का नाम कलमजन किया जाने हेतु आदेश पारित किये गये है । हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि इस न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय को उचित ठहराते है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कामा (भरतपुर) राज०